SCAT NEWS
स्कैट समाचार

The Latest Update on Whats Happening Around Us In The World Of Satellite & Cable TV

सैटेलाइट और केबल टीवी की दुनिया में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा उसका नवीनतम अपडेट

NEW NORMS FOR MSOS

The Govt has come has come out with new norms and made it mandatory for MSOs, who intend to provide their own programming service, either directly to their own subscribers or through one or more Local Cable Operators, to take registration of platform services.

Applicants have been advised to refer to guidelines for platform services offered by Multi System Operators issued by MIB on November 30, 2022. They are required to apply for registration of their PS channel(s)

TV CHANNELS AT 905

The number of television channels stands at 905. A recent report by the Ministry of Information and Broadcasting on the Media and Entertainment sector of India revealed that 905 satellite TV channels were present in India as of 2022-2023, an increase of 7 satellite channels from the previous year.

Post-COVID, the number of satellite TV channels dropped every year at an increasing rate. In 2020-2021, this number was 914, marking a decrease of four channels from 2019-2020. Further, 2021-22 saw a huge decline of 16 satellite TV channels, dropping the number to 898.

CABLE TV ACT NEW NOTIFICATION

Govt has decriminalized provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

Section 16 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 dealt with the punishment for contraventions under any of its provisions. This section had provision for imprisonment, which might extend up to 2 years in case of the first instance and 5 years for every subsequent offence.

With an aim to make the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 more business-friendly and to boost the investor confidence in the sector, punishments specified under Section 16 were re-examined and were

एमएसओ के लिए नये मानदंड

सरकार नये नियम लेकर आयी है और एमएसओ के लिए, जो सीधे अपने ग्राहकों को या एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से अपनी प्रोग्रामिंग सेवा प्रदान करने का इरादा रखते हैं, प्लेटफॉर्म सेवाओं का पंजीकरण लेना अनिवार्य कर दिया है।

आवेदकों को **30** नवंबर **2022** को एमआईबी द्वारा जारी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए दिशानिर्देशों का उल्लेख करने की सलाह दी गयी है। उन्हें अपने पीएस चैनल के पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक हो गया है।

905 टीवी चैनल

टेलीविजन चैनलों की संख्या **905** हो गयी है। भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि **2022-2023** तक भारत में **905** सैटेलाइट टीवी चैनल मौजूद थे, जो कि पिछले साल से **7** सैटेलाइट चैनलों की वृद्धि को दर्शाते हैं।

कोविड के बाद, सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या में हर साल काफी बड़ी संख्या में गिरावट आ रही है। **2020-2021** में यह संख्या **914** थी, जो **2019-2020** से चार चैनलों की कमी की बात को सामने रखती है। इसके अलावा **2021-22** में **16** सैटेलाइट चैनलों की भारी गिरावट देखी गयी, जिससे यह संख्या घटकर **898** रह गयी।

केबल टीवी अधिनियम नयी अधिसूचना

सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, **1995** के प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, **1995** की धारा **16** इसके किसी भी प्रावधान के तहत उल्लंघन के लिए सजा से संबंधित है। इस धारा में कारावास का प्रावधान था, जो पहली बार के मामले में **2** साल और प्रत्येक बाद के अपराध के लिए **5** साल तक बढ़ सकता था।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, **1995** को और अधिक व्यवसाय अनुकूल बनाने और क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धारा **16** के तहत निर्दिष्ट दंडों की

decriminalized through the Jan Vishwas (Amendment of Provision) Act, 2023.

NDTV SEES MAJOR EXITS

Sunil Saini, Senior Managing Editor of NDTV responsible for the Hindi channel, has tendered his resignation. Saini, who played a pivotal role as the editor of renowned journalist Ravish Kumar, had been an integral part of the NDTV group for nearly 18 years.

Saini contributed to prominent news organisations, including Aaj Tak, Zee News, and Star News, showcasing his extensive experience and expertise in the media industry.

NDTV's Consulting Editor Sanket Upadhyay has quit. He was associated with NDTV for over four years.

Prior to joining NDTV Upadhyay was working with CNN News 18 as Deputy Executive Editor.

Upadhyay started his journalism career in 2002 with Indo Asian News Service (IANS). He then joined the Hindustan Times in Jaipur as the City Reporter and worked there for two years.

IBDF APPEAL TO TRAI

The Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF) has requested the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to re-regulate the broadcasting sector, which is battling dwindling paid subscriber count and competition from DD Free Dish and OTT platforms, according to a news report.

Top broadcasters, including Disney Star, Sony Pictures Networks India, Zee Entertainment and Viacom18 have pushed to end monetary restrictions that include price caps, ceilings, discount caps and limitations on bouquets for both broadcasters and distribution platforms.

In its submission to TRAI, IBDF reportedly urged that service providers should be allowed to set prices for their TV channels and distribution services. They should be able to negotiate the terms and conditions of their interconnection based on market forces, said the report. ■

फिर से जांच की गयी और जन विश्वास (प्रावधान में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से अपराधमुक्त कर दिया गया।

एनडीटीवी से प्रमुखों का निकलना जारी

एनडीटीवी के हिंदी चैनल के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंध संपादक सुनील सैनी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सैनी लगभग 18 वर्षों तक एनडीटीवी के अभिन्न अंग रहे।

श्री सैनी ने मीडिया उद्योग में अपने व्यापक अनुभव व विशेषज्ञता को प्रदर्शित करते हुए आज तक, जी न्यूज और स्टार न्यूज सहित प्रमुख समाचार संगठनों में योगदान दिया।

एनटीडी के कंसल्टिंग एडिटर संकेत उपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है। वह चार साल से अधिक समय तक एनडीटीवी से जुड़े रहे। एनडीटीवी में शामिल होने से पहले श्री उपाध्याय सीएनएन न्यूज 18 में उप कार्यकारी संपादक के रूप में कार्यरत थे।

श्री उपाध्याय ने अपने पत्रकारिता कैरियर की शुरूआत 2002 में इंडो एशियन न्यूज सर्विस (आईएएनएस) से की थी। उसके बाद वे जयपुर में हिंदुस्तान टाइम्स में सिटी रिपोर्टर के रूप में शामिल हुए और 2 साल तक वहां काम किया।

ट्राई से अपील की आईबीडीएफ ने

एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से प्रसारण क्षेत्र को फिर से विनियमित करने का अनुरोध किया है, जो घटती पे-चैनल ग्राहक संख्या और डीडी फ्री डिश और ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है।

डिज्नी स्टार, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, जी एंटरटेनमेंट और वायकॉम 18 सहित शीर्ष प्रसारकों ने मौद्रिक प्रतिबंधों को समाप्त करने पर जोर दिया है, जिसमें प्रसारकों और वितरण प्लेटफॉर्म दोनों के लिए मूल्य सीमा, सीमा, छूट सीमा और बुके पर सीमायें शामिल हैं।

ट्राई को सौंपे गये गये आवेदन में, आईबीडीएफ ने कथित तौर पर आग्रह किया कि सेवा प्रदाताओं को अपने टीवी चैनलों और वितरण सेवाओं के लिए कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें बाजार के ताकतों के आधार पर अपने इंटरकनेक्शन के नियमों और शर्तों पर बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। ■